न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 28 / 2021

हीरासिंह पुत्र हुकमसिंह निवासी ग्राम डहरा तहसील नदबई, जिला भरतपुर ।

बनाम

तहसीलदार, तहसील नदबई।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 30.03.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट हीरासिंह पुत्र हुकमसिंह निवासी ग्राम डहरा तहसील नदबई, जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2021 को तहसीलदार नदबई से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार,नदबई द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 250 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा तहसीलदार, नदबई से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में तहसीलदार, नदबई से उनके पत्र कमांक / 10 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार,नदबई ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार, नदबई से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार, नदबई ने अपने जबाब पत्र कमांक 10 दिनांक 23.03.2021 में अंकित किया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से उन्हें वांछित सूचना दिया जाना सम्भव नहीं हैं। तहसीलदार नदबई के जबाब के अनुसार अपीलान्ट द्वारा चाहा गया कोई दस्तावेज तहसील कार्यालय में उपलब्ध नही होना बताया गया है। इस कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को सूचना दिया जाना सम्भव नहीं होना अवगत कराया गया है और उक्त तथ्य के बाबत् में अपीलान्ट को भी सूचित किया गया है।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार, नदबई से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार, नदबई को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर